भारत सरकार | **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं. 568**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

df"k fu;kr uhfr dh fo'k"krk,

568- Jh l t; lnkf'kojko ekMfyd%
Jh l/khj xlrk%
Jh fcn;r cju egrk%
Jh xtkuu dhfrdj%
Jh Jhjx vklik ckj.k%
D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में कृषि निर्यात नीति (एईपी) की घोषणा की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राज्य कार्यनीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने निर्यात में वृद्धि करने तथा व्यापार के अवरोधों के समाधन के लिए कार्यनीति तैयार करने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा अन्य अभिकरणों के साथ कोई चर्चा की है;
(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और
(च) क्या मंत्रालय ने एईपी में सक्रिय भूमिका के लिए सहकारिताओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित विजन के साथ व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है।

"भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों द्वारा भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता बढ़ाना ।"

अन्य बातों के साथ साथ, कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) **हमारी निर्यात बास्केट एवं गंतव्यों में विविधता लाकर और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं पर विशेष बल देते हुए उच्च मूल्य एवं मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।**

(ii) **अप्रतिम, स्वदेशी, जैविक, संजातीय, परम्परागत एवं गैर-परंपरागत कृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना।**

(iii) **बाजार पहुंच प्राप्त करने, अवरोधों से निपटने और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मुद्दों को देखने के लिए संस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराना।**

(iv) **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।**

(v) **किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना।**

कृषि निर्यात नीति में परिकल्पित प्रस्तावों को दो श्रेणियों में रखा गया है - नीतिगत एवं प्रचालनात्मक जिसका ब्यौरा अधोलिखित है :-

नीतिगत	**नीतिगत उपाय**
	अवसंरचना एवं संभार तंत्र सहायता
	निर्यात को बढाने के लिए समग्र दृष्टिकोण
	कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की वृहद्- भागीदारी

प्रचालनात्मक	क्लस्टरों पर ध्यान केन्द्रित करना
	मूल्य वर्धित निर्यातों को प्रोत्साहन देना
	"ब्रांड इंडिया का विपणन और संवर्धन"
	उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकृष्ट करना
	सशक्त गुणवत्ता नियमों की स्थापना करना
	अनुसंधान एवं विकास
	विविध

(ग) : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की है और उन्हें पुनरीक्षण तथा अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्यों के साथ साझा किया है। मसौदा कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए एपीडा ने राज्यों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की जिसके बाद अनेक अनुवर्ती कार्य तथा पत्राचार किया था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक ने राज्य विशिष्ट कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसियों को नियुक्त किया है। 16 राज्यों ने राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियां गठित की हैं।

(घ) एवं (ङ.) : वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात को बढ़ाने हेतु कार्यनीति बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के लगातार संपर्क में है। इस संबंध में अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए शीर्ष 10 उत्पादों, 10 देशों और निर्यात संभावित 20 उत्पादों 20 संभावित देशों को अभिज्ञात कर लिया गया है। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए सफल प्रयास हेतु इन सूचियों को सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया है। इस संबंध में की गई प्रगति को मॉनीटर करने के लिए अध्यक्ष, एपीडा की अध्यक्षता में संबंधित लाइन मंत्रालयों के सदस्यों का मिलकर एक उप-समूह का गठन किया गया है।

(च) : एपीडा और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :

(i) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा अनुसूचित उत्पादों के फसल कटाई पश्चात प्रबंधन हेतु बनाए गए अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु संयुक्त रूप से कार्यक्रम तैयार करना।

(ii) एपीडा को विभिन्न राज्यों में एनसीडीसी के साथ सभी समूहों की सूची साझा करना जो स्तर को प्राप्त करने तथा निर्यात अभिविन्यास के साथ एकत्रीकरण करने हेतु समूहों को संपर्क कर सके। एपीडा एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त अथवा अभिज्ञात की गई सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात का सुविधाजनक बनाएगा।

(iii) एपीडा एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त अथवा अभिज्ञात की गई सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पाद/क्षेत्रों के प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाएगा।

(iv) विभिन्न पणधारकों के क्षमता विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना।

(v) पणधारकों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना।

(vi) भारतीय तथा वैश्विक बाजार में अनेक मोडों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, ज्ञान और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना।

(vii) किसानों की आय को दुगुनी करने, जैसाकि सरकार द्वारा निर्धारित है, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एपीडा और एनसीडीसी को संयुक्त रूप से कार्य करना।

****